POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 16.07.2025

1. वृद्ध महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 3,29,70,000 रूपये की धोखाधड़ी करने वाले प्रकरण में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 01 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अज्ञात फोन नम्बर द्वारा वादिया के लैंडलाइन नम्बर पर कॉल कर वादिया को बताया गया कि उनके आधार कार्ड का उपयोग करते हुए बैंक खाते खोले गये जिनका प्रयोग जुआ व अवैध हथियार की खरीद करने में किया गया है। अभियुक्त द्वारा वादिया को गिरफ्तारी का भय दिखाकर 'डिजिटल अरेस्ट' कर 3,29,70,000 रूपये की धोखाधड़ी की गयी थी, जिसके संबंध में वादिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 30.06.2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **16.07.2025** को **थाना साइबर क्राइम पुलिस** द्वारा अभिसूचना संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए वादिया को डिजिटल अरेस्ट कर 3,29,70,000 रूपये की धोखाधड़ी करने वाले 01 शातिर साइबर अपराधी विपुल नागर (बेनिफेशयरी खाताधारक) को जयपुर, राजस्थान से **गिरफ्तार** किया गया है। उक्त प्रकरण से संबंधित 03 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण-- विपुल नागर(बेनिफेशयरी खाताधारक) ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने बैंक खाते को सह अभि0 अजीत को दे दिया था, जिस पर धोखाधडी से सम्बन्धित धनराशि प्राप्त की जाती थी। जिसका कमीशन अभि0 विपुल नागर को प्राप्त होता था। उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 63 लाख रुपये अभि0 विपुल नागर के खाते में ट्रांसफर हुए थे।

अभियुक्त का विवरण--

विपुल नागर निवासी रायगार जयपुर (राजस्थान)

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 63/2025 धारा 308(2)/318(4)/319(2) बीएनएस व 66-डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु--

1. साइबर से संबंधित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर- 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।

2. डिजिटल अरेस्ट- यदि आपके पास कोई व्यक्ति स्वयं को सीबीआई अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ED का अधिकारी, नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी अथवा इनकम टैक्स का अधिकारी बनकर कॉल करता है, उसके बाद आपको स्काइप/ zoom/ ऐप डाउनलोड करा कर वीडियो कॉल करने के लिए कहता है और आपका आईडी अवैध मादक पदार्थ के विक्रय में हवाला जैसे कारोबार/ money laaundering/ smuggling/ fake import-export में संलिप्त पाए जाने की बात कह कर डराता है, आपके विरुद्ध हुई FIR दिखाता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाता है या कोर्ट सुनवाई करवाता है। तो यह व्यक्ति साइबर अपराधी है आपको डरना या भयभीत नहीं होना है इसकी तुरंत शिकायत अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में करनी है। साइबर अपराधी के कहने पर किसी भी खाते में कोई भी धनराशि ट्रांसफर नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप साइबर ठगी के शिकार बन सकते हैं।

2. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा वाहन चोर 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/ निशानदेही से चोरी की 05 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक **16.07.2025** को **थाना बीटा-2** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 04 अभियुक्त 1. दिलीप पुत्र ग्रीस 2. अजय पुत्र सुनील 3. जैद पुत्र उमर 4. राज पुत्र दिनेश को नट मढैया गोल चक्कर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/ निशानदेही से फर्जी रजि0 नंबर प्लेट लगी हुई चोरी की 05 मोटरसाइकिल, अभियुक्त अजय के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस व अभियुक्त दिलीप के कब्जे से अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रेकी करके दो पहिया वाहनों की चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। दो पहिया वाहनों पर फर्जी रजि0 नंबर प्लेट लगाकर चोरी की घटनाओं में प्रयोग किया जाता था। अभियुक्तगण, पकड़े जाने के डर से अपने साथ अवैध शस्त्र रखा करते थे व चोरी किये गये दो पहिया वाहनों को सस्ते दामों में बेचकर लाभ कमाते थे। अभियुक्तों द्वारा मोटर साइकिल स्प्लेंडर रजि0नं0- UP16EN5684 बादलपुर क्षेत्र, मोटर साइकिल स्प्लेंडर रजि0नं0- UP16CJ7325 सूरजपुर क्षेत्र व मोटर साइकिल स्प्लेंडर प्रो रजि0नं0- DL5SBL7236 बसंतकुञ्ज दिल्ली से चोरी की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. दिलीप पुत्र ग्रीस निवासी ग्राम बगियाना, थाना चन्दौस, अलीगढ़ वर्तमान पता कस्बा व थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
2. अजय पुत्र सुनील निवासी चायबसा, गुमला (झारखण्ड) वर्तमान पता नॉलेजपार्क, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

3. जैद पुत्र उमर निवासी अहमदनगर, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ वर्तमान पता डेल्टा-2, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
4. राज पुत्र दिनेश निवासी सिकन्दरा राऊ, हाथरस वर्तमान पता तुगलपुर थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 326/2025 धारा 317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 311/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बादलपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. मोटर साइकिल स्प्लेंडर रजि0नं0- UP16EN5684 संबंधित मु0अ0सं0- 311/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बादलपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मोटर साइकिल स्प्लेंडर रजि0नं0- UP16CJ7325।
3. मोटर साइकिल स्प्लेंडर प्रो रजि0नं0- DL5SBL7236।
4. मोटर साइकिल स्प्लेंडर प्लस रजि0नं0- DL3SCR1623।
5. मोटर साइकिल एच एफ डीलक्स रजि0नं0- UP13BS8997।
6. 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर।
7. 01 अवैध चाकू।
8. 05 फर्जी रजि0 नंबर प्लेट।

3. थाना दादरी पुलिस द्वारा 03 चैन स्नैचर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग की 02 चैन, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **16.07.2025** को **थाना दादरी पुलिस** को आवेदक द्वारा 'डायल-112' के माध्यम से चैन स्नैचिंग की सूचना दी गई। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा पीआरवी के सहयोग से आवेदक से चैन स्नैचिंग की घटना को कारित करने वाले 03 अभियुक्त 1. मुकेश यादव पुत्र रामौतार 2. संजू यादव पुत्र राजाराम यादव 3. गौरव बाल्मिकी पुत्र मुंशी लाल को थाना दादरी क्षेत्रांतर्गत रेल पटरियों की नीचे बने नाले से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से स्नैचिंग की गई 02 पीली धातु की चैन, घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP85BV3506 व अभियुक्त मुकेश यादव के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- मुकेश यादव पुत्र रामौतार निवासी ग्राम मगदूमपुर, थाना गुन्नोर, सम्भल, उम्र करीब 25 वर्ष।

2- संजू यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम समरेर, थाना दातागंज, बदायुं, उम्र करीब 25 वर्ष।

3- गौरव बाल्मिकी पुत्र मुंशी लाल निवासी ग्राम जिरौली, थाना अनूपशहर, बुलन्दशहर, उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0 366/2025 धारा 109/309(4)317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2- मु0अ0सं0 341/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- स्नैचिंग की गई 02 पीली धातु की चैन।

2- घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP85BV3506।

3- 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर।

4. थाना सेक्टर-49 पुलिस व चोरी/ नकबजनी करने वाले 02 बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में-

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **16.07.2025** को **थाना सेक्टर-49** पुलिस द्वारा सेक्टर-76 नोएडा मेट्रो स्टेशन के नीचे बैरियर लगाकर चैकिंग की जा रही थी, कि तभी गोपनीय सूचना मिली कि मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है सूचना पर सेक्टर-49 पुलिस द्वारा एक और पुलिस टीम बुलाकर चैकिंग की जाने लगी तभी बरौला टी प्वाइंट की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध प्रतीत होने पर मोटरसाइकिल पर सवार 02 व्यक्तियों को रूकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार द्वारा अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर तेजी से सेक्टर-76 मेट्रो स्टेशन से आगें सर्विस रोड़ पर भगाने लगे तो एक पुलिस टीम द्वारा उक्त मोटरसाइकिल सवारों का पीछा किया गया। पुलिस टीम को पीछा आता देख मोटरसाइकिल सवारों द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को बिजली घर के पास सर्विस रोड़ पर छोड़कर जंगल की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा अपने आप को पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल दोनों बदमाशों की पहचान 1. अनिल उर्फ अन्नू उर्फ बिल्ला पुत्र प्रेम सिंह निवासी सुक्का रियुर, थाना बल्ह, जिला मण्डी (हिमाचल) वर्तमान पता ग्राम बरौला, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 29 वर्ष 2. करन शर्मा उर्फ गोपाल उर्फ काकू पुत्र बोधराज सिंह निवासी ग्राम गदवाहन, थाना बल्ह, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) वर्तमान पता ग्राम बरौला, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 29 वर्ष के रूप में हुई है। घायल बदमाशों के कब्जे से 01-01 तमंचा मय 01-01 खोखा कारतूस व 01-01 जिंदा कारतूस .315 बोर व चोरी की 01 पीली धातु की चैन, 01 जोड़ी कान के टॉप्स, 03 अंगूठी पीली धातु, 01 गले का पैंडेंट, 04 मोबाइल फोन, 2800 रुपये नगद व घटना में

प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बरामद चोरी के सामान के संबंध में थाना सेक्टर-49 नोएडा पर अभियोग पंजीकृत है। घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही.

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा बंद पड़े मकानों में रेकी कर रात्रि में ताला तोड़कर जेवर व अन्य कीमती सामनों की चोरी किया करते थे तथा चोरी के सामानों को सस्ते दामों राहगीरों को बेच दिया करते थे। अभियुक्त अनिल उपरोक्त मोटरसाइकिल चलाने में माहिर है। अभियुक्तों द्वारा मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। अभियुक्तों द्वारा हिमाचल प्रदेश में भी चोरी की घटनाऐं कारित की गई है।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त अनिल--**

1- मु0अ0सं0- 125/2018 धारा 380,411 भादवि, थाना बल्ह,मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

2- मु0अ0सं0- 338/2019 धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना सदर, ,मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

3- मु0अ0सं0- 349/2020 धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना बल्ह, ,मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

4- मु0अ0सं0- 036/2023 धारा 454/380/411/34/414 भादवि, थाना बल्ह, ,मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

5- मु0अ0सं0- 121/2025 धारा 331(3)/305 बीएनएस, थाना बल्ह, ,मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

6- मु0अ0सं0- 201/2025 धारा 305ए बीएनएस, थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

7- मु0अ0सं0- 214/2025 धारा 305ए बीएनएस, थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

8- मु0अ0सं0- 216/2025 धारा 305ए/331(4)/324(4) बीएनएस, थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त करन-**

1- मु0अ0सं0- 338/2019 धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना सदर, ,मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

2- मु0अ0सं0- 349/2020 धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना बल्ह, ,मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

3- मु0अ0सं0- 201/2025 धारा 305ए बीएनएस, थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4- मु0अ0सं0- 214/2025 धारा 305ए बीएनएस, थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5- मु0अ0सं0- 216/2025 धारा 305ए/331(4)/324(4) बीएनएस, थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।